**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 3004**

**दिनांक 21 मार्च, 2018**

**ओएनजीसी तेल क्षेत्रों का निजीकरण**

**3004. श्री टी॰ रतिनावेलः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि ओएनजीसी विश्व के उन कुछ संस्थानों में शामिल है, जो दशकों पुराने तेल क्षेत्रों का रखरखाव और उनका जीर्णोद्धार करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) ओएनजीसी तेल क्षेत्रों के निजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए निजी कंपनियों की असफलताओं की अवहेलना कर रहा है;

(ग) क्या डीजीएच ने पूर्व में यह स्वीकार किया था कि तेल क्षेत्रों के स्वामित्व को बिना किसी को सौंपे ही प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन बढ़ाए जाने संबंधी सरकार के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क): ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) लि0 के कच्‍चे तेल उत्‍पादन का लगभग 70% परिपक्‍व/पुराने क्षेत्रों से आता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2014-15 से 2016-17 तक के दौरान ओएनजीसी का स्‍टैंडएलोन कच्‍चा तेल उत्‍पादन (कंडेनसेट सहित) और प्राकृतिक गैस उत्‍पादन के ब्‍यौरे नीचे दिए गए हैं:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | कच्‍चा तेल (एमएमटी) | प्राकृतिक गैस (बीसीएम) | ओ+ओईजी (एमएमटी)  |
| 2014-15 | 22.264 | 22.023 | 44.287  |
| 2015-16 | 22.368 | 21.177 | 43.545 |
| 2016-17 | 22.249 | 22.088 | 44.337 |

किसी क्षेत्र से उत्‍पादन की संभाव्‍यता अत्‍यधिक रूप से क्षेत्र की रिजर्वायर विशेषताओं जैसे कि- सरंध्रता ((पोरासिटी), पारगम्‍यता, विन्‍यास दाब, क्षेत्र का आकार/स्‍थल आदि पर निर्भर करता है जिससे अलग-अलग तेल और गैस क्षेत्रों से उत्‍पादन की दर भिन्‍न होती है। किसी रिजर्वायर से तेल और गैस के उत्‍पादन काल के दौरान, प्रारंभ में कुछ समयावधि के लिए उत्‍पादन में वृद्धि होती है, उसके बाद कुछ वर्षों के लिए उत्‍पादन स्‍थिर रहता है और उसके बाद तेल और गैस के उत्‍पादन में प्राकृतिक गिरावट देखी जाती है। उत्‍पादन में प्राकृतिक गिरावट तेल और गैस उत्‍पादन के क्षेत्र में एक सामान्‍य घटना होती है।

(ख) से (घ): विभिन्‍न कारणों जैसे कि अलग-थलग स्‍थलों, लघु आकार, अत्‍यधिक विकास लागत, प्रौद्योगिकी संबंधी बाधाओं आदि के कारण ओएनजीसी और ओआईएल के कई खोजे गए तेल और गैस के क्षेत्रों का वर्षों तक मौद्रीकरण नहीं किया जा सका। सरकार ने घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने के उद्देश्‍य से, राष्‍ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा की गई खोजों का शीघ्र मौद्रीकरण करने के लिए वर्ष 1992-1993 में एनईएलपी पूर्व खोजे गए क्षेत्र दौर में निजी भागीदारी की पूर्व में अनुमति दी थी। इस अवधि के दौरान चिह्नित खोजे गए लघु क्षेत्रों के लिए बोलियों के विभिन्‍न दौरों के तहत 28 खोजे गए क्षेत्रों को प्रदान किया गया था। इसके बाद, अन्‍वेषण ब्‍लाकों नई अन्‍वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत प्रदान किया गया था। वर्ष 1999 से 2012 तक की अवधि में एनईएलपी के विभिन्‍न दौरों के तहत 254 अन्‍वेषण ब्‍लाकों को प्रदान किया गया था। इसके अलावा, 28 एनईएलपी-पूर्व अन्‍वेषण ब्‍लाकों को एनईएलपी के अनुमोदन से पहले प्रदान किया गया था। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का अधिदेश में हाइड्रोकार्बन्‍स के अन्‍वेषण और इष्‍टतम दोहन के मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को तकनीकी सलाह देना, कंपनियों को अन्‍वेषण के लिए रकबों की पेशकश करना, रकबों के परित्‍याग से संबंधित मामले, पर्यावरण, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और पेट्रोलियम कार्यकलाप के आर्थिक पहलुओं के संबंध में संतुलन कायम करते हुए भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों के ठोस प्रबंधन को प्रोत्‍साहित करना और कंपनियों के अन्‍वेषण कार्यक्रम की समीक्षा करना है।

तेल और गैस के घरेलू उत्‍पादन को बढ़ाने के उद्देश्‍य से, ओएनजीसी और ओआईएल के 69 खोजे गए लघु क्षेत्रों, जिनमें उत्‍पादन शुरू नहीं किया गया था, का मौद्रीकरण करने के लिए सितंबर, 2015 में खोजे गए लघु क्षेत्र नीति अधिसूचित की गई थी। इस नीति के तहत, अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बोली (आईसीबी) के माध्‍यम से विकास करने के लिए 30 संविदा क्षेत्रों (43 क्षेत्र) को प्रदान किया गया था। सरकार ने 2015 में अधिसूचित खोजे गए लघु क्षेत्र नीति (बीएसएफ) को नामांकन व्‍यवस्‍था के तहत ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) लि0 और ऑयल इंडिया लि0 (ओआईएल) के गैर-मौद्रीकृत लघु क्षेत्रों/खोजों तथा उत्‍पादन हिस्‍सेदारी संविदा (पीएससी) व्‍यवस्‍था के तहत परित्‍याग कर दी गई खोजों का शीघ्र मौद्रीकरण करने के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार ने नई हाइड्रोकार्बन अन्‍वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) घोषित की है, जिसमें अन्‍वेषण और उत्‍पादन कंपनियों को ऐसे क्षेत्रों, जिसे वे अन्‍वेषण के लिए लेना चाहती हों, को दर्शाते हुए प्रारंभिक रुचि की अभिव्‍यक्‍ति (ईओआई) प्रस्‍तुत करके किसी भी समय प्रस्‍ताव में भाग लेने की अनुमति दी गई है। प्राप्‍त ईओआई के आधार पर सरकार ने ब्‍लाकों/क्षेत्रों को अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धात्‍मक बोली के लिए रखा है। राष्‍ट्रीय तेल कंपनियों को भी उक्‍त नीतियों के तहत बोलियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

\*\*\*\*